आवश्यक / तत्काल

संख्या–3949 / 37–1–2009–5(84) / 09

प्रेषक,

डा0 हरशरण दास
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–1

लखनऊ दिनॉक30 दिसम्बर, 2009

विषयः प्रदेश में पशुचिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द खुलने का समय ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–1425 / सा0–1 / एक्स / 84 / प0चि0 समय / 2009–10 दिनांक 02 सितम्बर, 2009 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– उपर्युक्त विषयक पूर्व में जारी शासनादेशों को अतिकमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नानुसार प्रदेश के पशुचिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द को खोलने एवं बन्द करने का समय निर्धारित किया गया है :–

माह	अवधि	
	खुलने का समय	बन्द होने का समय
दि0 1 अप्रैल से 31 मार्च, तक	प्रातः 8:00 बजे	अपरान्ह 2.30 बजे

3– पशुचिकित्साधिकारी, पशुचिकित्सालय पर उपरोक्त अवधि में पशुचिकित्सालय के खुलने से मध्यान्ह 12.00 बजे तक पशुचिकित्सालय पर विद्यमान रहकर पशुचिकित्सा एवं अन्य निर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करेंगे।

4– अपरान्ह 12.00 बजे से 2.30 बजे तक पशुचिकित्सालय की परिधि में आने वाले ग्रामों का प्रस्तावित रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन भ्रमण करेंगे, तथा ग्राम प्रधान के पास उपलब्ध भ्रमण पंजिका में इसका उल्लेख भी करेंगे।

5– अपरान्ह 12 बजे से 2.30 बजे तक पशु औषधिक द्वारा संस्था का संचालन किया जायेगा।

6– रविवार को अवकाश रहेगा, किन्तु इस दिन पशु औषधिक को चिकित्सालय पर उपस्थित रहना होगा और पशु चिकित्साधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर, जैसे पोस्ट मार्टम, मेडिको लीगल केस एवं चिकित्सा कार्य हेतु बुलाया जायेगा। सदर पशु

चिकित्सालय में पशु चिकित्साधिकारी की अवकाश के दिन अल्टरनेट (वैकल्पिक व्यवस्था) भी की जायेगी।

7— प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी सामान्यतः निर्धारित अवधि के पश्चात भी नियमानुसार अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे तथा भ्रमण हेतु अथवा मुख्यालय छोड़ने की दशा में उसकी सूचना पुस्तिका (इन्टीमेशन बुक) में नियमित रूप से अंकित करेंगे। भ्रमण के दौरान कृत कार्य का अंकन भ्रमण पंजिका में किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0/–
(डा0 हरशरण दास)
सचिव

संख्या— 3949(1)/37—1—2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया जाय कि प्रदेश में कार्यरत पशु चिकित्सालयों के खुलने तथा बन्द होने के संबंध में शासनादेश में दिये गये आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय :—

1— समस्त उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
2— समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उ0प्र0 ।
3— गार्ड बुक ।

आज्ञा से
(शम्भू नाथ)
अनु सचिव